भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 809

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ऑनलाइन छूट

809. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली अत्यधिक छूट और ऑफर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) दायित्व के मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम एमएसएमई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटे और स्थानीय व्यवसायों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): सरकार ने देश में ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराने तथा अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए अनेक कानूनी और नीतिगत उपाय किए हैं। इसके अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल कॉमर्स को सभी तक पहुंचाना है। ओएनडीसी ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित है, जो बिना किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है जिसका उपयोग किसी भी क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा किया जा सकता है।

(ख): ओएनडीसी और ओएनडीसी के नेटवर्क भागीदार, भारत के सभी मौजूदा लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन हैं।

(ग) और (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने अपनी स्कीमें और कार्यक्रम संचालित करने के लिए विभिन्न टूल और पोर्टल तैयार किए हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ, एमएसएमई पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण पोर्टल, शिकायतों के समाधान के लिए एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, विपणन सहायता के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद और भुगतान में देरी की निगरानी के लिए एमएसएमई संबंध और एमएसएमई समाधान, शामिल हैं।

इसके साथ ही, एमएसएमई की अनेक स्कीमें भी हैं जैसे टूल रूम के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), प्रौद्योगिकी केंद्र, एमएसएमई-विकास और सहायता कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ) तथा उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)। इसके अलावा, सरकार ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के जरिए एमएसएमई को ई-मार्केट और डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने में सहायता कर रही है।

डिजिटल सेवाओं में सुधार करने तथा एमएसएमई क्षेत्र को आसान, सस्ता और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के लिए अनेक पद्धतियां विकसित की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान में देरी के मामलों का समाधान करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म तैयार किया है, नवप्रयोग में तेजी लाने के लिए रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स खोला है जो प्रौद्योगिकी और डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके एमएसएमई की ऋण की कमी को पूरा कर सकता है तथा अकाउंट एग्रीगेटर (एए) की स्थापना की है ताकि वित्तीय डाटा को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से साझा तथा एग्रीगेट किया जा सके।

*****